न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद बइजलास अम्बालाल मीणा आर0ए0एस0

प्रकरण स. 25/2015

बउनवान

आनन्दीलाल उम्र 70 वर्ष पुत्र मांगीलाल जाति गूजर निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

वादी

बनाम

नन्दकुवंर बाई पत्नी गजानन्द जाति ब्राम्हण निवासी तह0 सांगोद।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

निर्णय दिनांक 5-1-2016

वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माल ग्राम सांगोद तह0 सांगोद जिला कोटा मे साबिक खसरा न0 मि0 245 की 19बीघा 3 बिस्वा कृषि भूमि स्थित रही है, जिसके वर्तमान खसरान न0 1094 की 0.20 हेक्टर , खन0 1094 /2707 की 0.13 हेक्टर, ख0न0 1103/2769 की 0.84 हे0 व ख0न0 1103 की 1.93 हेक्टर है, कालान्तर मे उक्त साबिक खन0 245 की 19 बिघा 3 बिस्वा कृषि भूमि खातेदारा शांतिबाई, श्रवनीबाई, नन्दकंवरी पुत्रिया जगन्नाथ किराड निवासी सांगोद के नाम से खाते मे दर्ज रही थी। उक्त खातेदारान के द्वारा कृषि भूमियो का अन्तरण करने के पश्चात तथा माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर सांगोद मे पूर्व मे लंबित रहे प्रकरण लाडबाई बनाम शांतिबाई मे पारित निर्णय दिनांक 9.1.2001 के अनुक्रम मे उक्त साबिक खसरा न0 245 की 19 बीघा 3 बिस्वा भूमि मे से उत्तरी व पूर्वी तरफ की 11 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि लाडबाई पत्नी श्री बृजबिहारी जाति ब्राहम्ण निवासी सांगोद के खाते ख0न0 245 की 6 बीघा दक्षिण पूर्वी शांतिबाई पत्नी श्री किशनलाल किराड के खाते व खसरा न0 245 की भूमि मे से सडक के पश्चिमी तरफ स्थित 1 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि वादी के खाते मे दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये थे तथा उक्त

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा (राज0)

आदेश की पालना मे निर्णय दिनांक 9.1.2001 के अनुसार कृषि भूमियां वादी व अन्य खातेदारान के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर दी गई है। हाल ही मे हुए सेटलमेन्ट के उपरान्त वादी के खाते मे दर्ज खसरा न0 245 की 1 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि के वर्तमान ख0न0 1094 की 0.20 है0 श्रीमति लाडबाई के खाते मे दर्ज खसरा न0 215 की 11 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि के वर्तमान खन0 1103 की 1.93 है0 व श्रीमती शांतीबाई पत्नी किशनलाल किराड के नाम से खाते मे दर्ज खसरा न0 245 की 6 बीघा दक्षिण पूर्वी के वर्तमान खसरा न0 1094 /2707 की 0.13 है0 व खसरा न0 1103/2769 की 0.84 है0 दर्ज किये गये है।

माननीय न्यायालय सहायक कलेक्ट सांगोद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9.1.2001 के अनुसार वादी को 1 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि सडक के पश्चिमी तरफ दी गई थी जिस पर वादी शाति पूर्वक उपयोग उपभोग मे चला आ रहा है। इसी प्रकार तत्कालीन खातेदार श्रीमती लाडबाई व श्रीमती शांतिबाई भी उनके हिस्से की कृषि भूमियो पर शाति पूर्वक उपयोग उपभोग मे है श्रीमती शांतिबाई का स्वर्गवास हो चुका है तथा उनके स्वर्गवास के बाद उनके हिस्से पर राजस्व रेकार्ड मे उनके पुत्र कजोडीलाल व पुत्री सीताबाई का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष मे व अप्रार्थी के विरूद्ध इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पारित फरमायी जावे कि वे सेटलमेन्ट के दौरान नक्शाट्रेस मे ख0न0 1094/2707 की भूमि के हुए गलत अंकन के आधार पर प्रार्थी के खाते व कब्जे की ग्राम सांगोद मे स्थित ख0न0 1094 की 0.20 हेक्टर कृषि भूमि मे मौके पर शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे किसी भी प्रकार से बाधा पहुचाने का प्रयास नही करे। उक्त कृत्य न तो अप्रार्थी स्वयं करे और न ही अपने किन्ही नौकरो व एजेन्टो से करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। विद्ववान अभिभाषणगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील पक्षकारान ने राजस्व रेकार्ड मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु सहमति जाहिर की गई। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा वाद ताफेसला पारित की जाती है कि अप्रार्थीगण ग्राम सांगोद के खसरा न0 1094 की 0.20 है0 भूमि की राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद संलग्न हो।

अम्बालाल मीणा आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

उपखण्ड अधि...
सांगोद जिला को...